न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 120 / 2024
ऑनलाईन नंबरः 2024 / 251 निर्णय दिनांकः 10.10.2024

रामलाल उर्फ रामेश्वर पुत्र मालूराम जाति नायक निवासी सोनियासर उदयकरणावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।

—प्रार्थी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री राधेश्याम दर्जी अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 104 तादादी 10.6900 हैक्टेयर वाकेरोही सोनियासर गोदारान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1 / 5 हिस्सा भूमि है, जिस पर प्रार्थी का ही कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग चला आ रहा हैं। प्रार्थी के उक्त खेत खसरा नम्बर 104 तादादी 10.6900 हैक्टेयर रोही मौजा सोनियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर जिसके पुराने खसरा नम्बर 66 है, उक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थी के पिता मालूराम नायक के नाम से दर्ज थी। प्रार्थी के पिता मालूराम की मृत्यु के उपरांत उपरोक्त खेत खसरा नम्बर 104 तादादी 10.69 हैक्टेयर रोही मौजा सोनियासर गोदारान तहसील श्रीडूंगरगढ़ की खातेदारी जरिये इंतकाल प्रार्थी व प्रार्थी की माता व भाई / बहिन के नाम से 1 / 5—1 / 5 हिस्सा भूमि दर्ज हो गई। जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं। उक्त खसरा की भूमि का इंतकाल दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम रामेश्वर अंकित हो गया था, क्योंकि प्रार्थी को अपने घर व गांव में रामेश्वर व रामलाल दोनों ही नामो से जाना, पहचाना व पुकारा जाता हैं । इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से रामेश्वर अंकित हो गया। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामेश्वर अंकित होने से प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर ऋण व सरकारी सहायता आदि लेनें में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी के राशन कार्ड, आधार कार्ड व परिचय पत्र में प्रार्थी का नाम रामलाल अंकित है। जबकि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 104 तादादी 10.69 हैक्टेयर रोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.06 11:56:24 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

सोनियासर गोदारान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम रामेश्वर दर्ज हो गया। हल्का पटवारी ने इंतकाल से जमाबंदी में सहबन से नाम अंकित करते वक्त रोही सोनियासर गोदारान तहसील श्रीडूंगरगढ़ के खेत खसरा नम्बर 66 की जमाबंदी में रामेश्वर अंकित कर दिया। रेवेन्यू रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामेश्वर की रामलाल अंकित करवाया जाना आवश्यक हो गया हैं। क्योंकि जमाबंदी में गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थी को काफी परेशानियां हो रही है। यह एक लिपिकीय भूल है, जो कि सुधारी जा सकती हैं तथा इस भूल का सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। प्रार्थी ने दिनांक 10.06.2024 को अप्रार्थी से निवेदन किया वो रेवेन्यू रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामेश्वर के स्थान पर रामलाल अंकित कर देवें तो अप्रार्थी ने प्रार्थी से कहा कि न्यायालय आदेश लेकर आवों । इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया हैं । इसलिए प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा हैं। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 104 तादादी 10.6900 हैक्टेयर वाकेरोही सोनियासर गोदारान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र सुनने का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त हैं । प्रार्थना पत्र पूर्ण न्यायशूल्क पर पेश हैं । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर किया गया है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 104 तादादी 10.6900 हैक्टेयर वाकेरोही सोनियासर गोदारान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में प्रार्थी को प्रार्थी का नाम रामेश्वर के स्थान पर रामलाल अंकित करने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 10.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.06 11:56:24 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़